

383

R1(B)

DS

Tah

18/4/19

कार्यालय:- ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II

दिनांक: 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

तहसीलदार कसपा कुशीनगर

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति

प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र 673/Rc

दिनांक: 28/03/25

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आफरीन खातून पुत्र श्री रेनुल हसन
 ग्राम/कस्बा सनकोल पोस्ट- सनकोल
 थाना- तुरेपट्टी ब्लॉक- कसपा तहसील- कसपा
 जिला- कुशीनगर, राज्य- उत्तर प्रदेश पिन कोड- 274401 के स्थायी निवासी है।
 जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि
 वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपया मात्र)
 से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है।

- (I) 5 (पाँच) एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- (II) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- (III) अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- (IV) अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री आफरीन खातून पुत्र रेनुल हसन
 जाति शेख के सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अनुसूचित नहीं है।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।



हस्ताक्षर: आफरीन खातून (कार्यालय के मुहर सहित)
 पुरा नाम आफरीन खातून
 पदनाम कसपा
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
 मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों की जाँच आख्या का प्रारूप

महोदय

प्रार्थी/प्रार्थिनी आफरीन खातून पिता/पुत्र/पुत्री/पत्नी ऐनुल हसन
निवासी ग्राम- इनकोल पोस्ट- इनकोल
तहसील- दरसा जनपद- कुशीनगर (उ०प्र०) का निवासी हूँ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जाँचोपरान्त आख्या निम्नलिखित है:-

प्रार्थी/प्रार्थिनी सामान्य जाति की शेख है।

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी के परिवार में 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि नहीं है।
2. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट नहीं नहीं है।
3. अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड नहीं है।
4. अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड नहीं है।
5. प्रार्थी/प्रार्थिनी की वार्षिक आय मु० 48000/- वार्षिक आय रुपये होता है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थिनी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में है, जो लाभ पाने के पात्र है।

प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

25/03/25
हस्ताक्षर ले०

25/3/25
ह० राजस्व निरीक्षक
हस्ताक्षर

